बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006

बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 का (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।–(1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–2 का संशोधन ।–

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा–2 (क ढ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :–

"(क ढ) "जिला परिषद" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित जिला स्तर की पंचायत"

3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा–167 का संशोधन ।–

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–167 की उपधारा (2)(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :–

"(ग) सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों, जिले की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पर्षद् के निर्वाचित पार्षदों के बीच से, उनके द्वारा, विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्र और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचित होंगे :

परन्तु निर्वाचित सदस्यों में व्यावहारिक रूप से यथाशक्य पचास प्रतिशत महिलायें होंगी :

परन्तु और कि यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं हो तो सरकार, जिला परिषद् के सदस्यों तथा जिले की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पर्षद के पार्षदों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों के सदस्यों को इतनी संख्या में मनोनीत कर सकती है जितना वह उपयुक्त समझे।"